झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–678/2019– 12/19-20 ... राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– तजना बराज सिंचाई योजना के पुनरूद्धार एवं नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु रू० 49.00 करोड़ (रू० उन्चास करोड़) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची प्रक्षेत्राधीन तजना बराज सिंचाई योजना के पुनरूद्धार एवं नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु रू० 49.00 करोड़ (रू० उन्चास करोड़) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. तजना बराज सिंचाई योजना का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 1970 में कराया गया था। तजना बराज की लम्बाई 51.83 मी० है तथा इसमें 7 (सात) अदद् गेट लगा हुआ है।

इसके बराज से निःसृत मुख्य नहर की लम्बाई 8.20 कि०मी० तथा जलश्राव 2.379 क्यूमेक है एवं मुख्य नहर से निःसृत भण्डरा वितरणी की लम्बाई 7.74 कि०मी० तथा जलश्राव 0.679 क्यूमेक है। रंगरोरी वितरणी की लम्बाई 3.69 कि०मी० तथा जलश्राव 0.65 क्यूमेक है। पिपराटोली वितरणी की लम्बाई 3.08 कि०मी० एवं जलश्राव 0.283 क्यूमेक है।

4. इस योजना के ई०आर०एम० कार्य के अंतर्गत मुख्य नहर एवं उपरोक्त तीनों वितरणियों की पी०सी०सी० लाईनिंग करने का प्रावधान है तथा नहरों में निर्मित विभिन्न संरचनाओं के पुनरूद्धार कार्य का प्रावधान है।

5. योजना के पुनरूद्धार एवं लाईनिंग कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के लिये रू० 4900.299 लाख के प्राक्कलन की मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति (Technical Sanction) प्रदान की गयी है, जिसके प्रमुख अवयवों की विवरणी निम्नांकित है –

Sl. No.	Component	Amount (in Rs.)
1	A- Preliminary	4226086.05
2	Renovation of different Structures (D-Regulator, E-Falls, F-C.D. Works, G- Bridges etc.)	12780761.36
3	Lining	285299794.87
4	Earth Work	124528049.59
5	P-Maintenance	4226086.05
	Total :-	**431060777.92**
	Add : GST - 12%	51727293.35
	Total :-	**482788071.27**
	Add : 1% Labour Cess	4827880.71
	Add : ½% Contingency	2413940.36
	Grand Total :-	**490029892.34**
	Say :-	**Rs. 49.00 cr.**

6. योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता, एवं पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त पुनर्बहाल होने वाली सिंचाई क्षमता का विवरण निम्नवत् है –

			खरीफ (हे०)
(i)	रूपांकित सिंचाई क्षमता	–	2380
(ii)	पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त पुनर्बहाल होने वाली सिंचाई क्षमता	–	780
(iii)	पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त कुल सिंचाई क्षमता	–	2380 (100%)

7. इस योजना के कार्यों हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे तथा कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, खूँटी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

8. योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रारंभ कर जून 2021 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

10. इस योजना पर होने वाला व्यय, बजट उपबंध,

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– 49S-4701-80-796-54-05-45)

11. वर्ष 2019–20 के लिये बजट में पूर्ण सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

a. शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 796 – 54 – 05 – 45 में रू० 14000.00 लाख

12. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिससे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

13. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

15. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

17. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृति समिति एवं योजना –सह– वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

18. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 18.06.2019 के मद सं०–14 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

19. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

20. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

26.6.19

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—678/2019— 12/19-20 ५०स०/राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना —सह— वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—678/2019— 12/19-20 ५०स०/राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, खूँटी कोषागार, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—678/2019— 12/19-20 ५०स०/राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, खूँटी/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०—3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—678/2019— 12/19-20 ५०स०/राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :— उपायुक्त, खूँटी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

1/7/19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—678/2019— 12/19-20 ५०स०/राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :— मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

1/7/19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव